5 COURT FEE ५ INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

10 COURT FEE १० INDIA दस रुपये TEN RUPEES

CP 152

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण कमांकः /2006/द्वितीय अपील

A 27-II/06

श्री .... द्वारा आज दि० 6.1.06 को प्रस्तुत।

रीडर
राजस्व मण्डल म० प्र० [illegible]

6 JAN 2006

1— राम कुमार पिता मैकूलाल नामदेव

2— कमला प्रसाद पिता मैकूलाल नामदेव

निवासीगण बडोखर तहसील देवसर जिला सीधी म0प्र0

———— अपीलान्टस

विरूद्ध

1— लल्ली पत्नी श्याम सुन्दर गडेरी

2— बच्चाराम पुत्र ददऊ यादव निवासीगण बडोखर तहसील देवसर जिला सीधी म0प्र0

3— मध्य प्रदेश शासन

————रेस्पान्डेन्टस

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 107 (5) मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 18–10–2005 जिसे अपर आयुक्त रीवा संभाग ने अपने यहा के प्रकरण कमांक 594 /2001–2002 अपील में पारित किया ।

माननीय महोदय,

अपीलान्टस निम्न प्रकार से विनम्र निवेदन करता है :–

1— यहकि, प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 107 (5) का कलेक्टर के यहां प्रस्तुत किया । कि उसके कब्जा व स्वामित्व के मुताबिक त्रुटि पूर्ण नक्शा बनाया गया है । उसे सुधारा जावे । अपर कलेक्टर ने जांच के उपरान्त दिनांक 5–4–2002 को आवेदन निरस्त कर दिया जिसकी प्रथम अपील अपर कमिश्नर के यहा

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक अपील 27–दो/2006 जिला सीधी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
26–7–2016	अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 145/अ–74/2000–01 में पारित आदेश दिनांक 5–4–2002 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। 2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थीगण द्वारा म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 107(5) के तहत एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया कि सर्वेक्षण बंदोबस्त के दौरान खसरा कमांक 44,45, 1270, 1272 रकवा 4.16 एकड़ का प्लाट पुराने प्लाट अनुसार रकवा न करके स्व्त्व के मिले जुले प्लाट के अंश रकवा 0.29 डि0 कमी प्लाट पर रिनम्बरिंग कर नया नंबर 583 म0प्र0 शासन की भूमि का रकवा बढ़ाकर के नया प्लाट निर्मित कर दिया गया है अतः उक्त भूल सुधारी जाये। अपर कलेक्टर ने जांच उपरांत अपीलार्थीगण का आवेदन आदेश दिनांक 5–4–02 के द्वारा निरस्त किया, जिसके विरूद्ध अपील अपर आयुक्त रीवा के समक्ष प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त ने आदेश दिनांक 18–10–05 के द्वारा अपील निरस्त की गई। अपर आयुक्त के उक्त आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। 3/ उभय पक्ष अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों एवं आदेशों का अवलोकन किया जिससे प्रकट होता है कि अपर कलेक्टर द्वारा अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत संहिता की धारा 107(5) के आवेदन विधिवत नायब तहसीलदार से स्थल जांच प्रतिवेदन उपरांत यह पाते हुये कि अपीलार्थी के	

भूमिस्वामित्व के भूमि का रकवा बन्दोबस्त सर्वेक्षण के दौरान कम हुआ है और अपीलार्थी द्वारा रकवा कमी की पूर्ति हेतु आवेदन संहिता की धारा 107(5) का प्रस्तुत किया। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता की धारा 107(5) के अनुसार नक्शे की त्रुटि में सुधार किये जाने का प्रावधान है। यदि अपीलार्थी सर्वेक्षण बन्दोबस्त के दौरान हुये परिमाप अंक या खाते के क्षेत्रफल के निर्धारण में हुई भूल में सुधार हेतु संहिता की धारा 89 के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारी को शक्तियां प्राप्त हैं। इसी आधार पर अपर कलेक्टर ने अपीलार्थी का आवेदन निरस्त किया है। अपर कलेक्टर ने विधी के प्रावधान के अनुसार ही अपीलार्थी का आवेदन निरस्त किया है। अपर कलेक्टर के विधिसंगत आदेश की पुष्टि अपर आयुक्त द्वारा किये जाने में किसी प्रकार की अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है। उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर कलेक्टर बैढ़न जिला सीधी का आदेश दिनांक 5–4–02 एवं अपर आयुक्त रीवा का आदेश दिनांक 18–10–05 विधिसंगत होने से स्थिर रखे जाते है। निगरानी निरस्त की जाती है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

(के0सी0 जैन)
सदस्य